

### कृषि मंत्रालय !

- ♦ भारत कृषि प्रधान देश है कृषि विकास के लिए वर्षा का पूर्वानुमान बहुत आवश्यक होता है क्योंकि फसलें उसी हिसाब से उगाई और संरक्षित की जा सकती हैं। मार्च अप्रैल में रवि की फसल काट कर किसान लोग अपनी जरूरत भर के लिए आनाज एवं पशुओं का चारा रखा लेते हैं बाकी रख रखाव की समस्या एवं धन की आवश्यकता के कारण वेच लेते हैं उन्हें सहारा होता है कि अगस्त सितम्बर में करीफ की फसल आ जाएगी बाकी जरूरतें उससे पूरी होंगी। किंतु यदि जुलाई अगस्त में सूखा हो जाता है या अधिक वर्षा हो जाती है तो उससे फसलें बर्बाद हो जाएंगी जिससे किसान का परेशान होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में किसान को मार्च अप्रैल में ही यदि पता लग गया होता तो किसान आनाज एवं चारे के लिए रवि की फसल को बचा कर रख सकता था साथ ही खेतों में उस प्रकार की फसलें बो सकता था जो अगामी जुलाई अगस्त में अनुमानित वर्षा की संभावना के अनुकूल होती। जबकि जून जुलाई तक किसान अपना आनाज और पशु चारा तो बेच चुके होते हैं इसलिए तब वर्षा के पूर्वानुमान पर किसानों को उतना लाभ नहीं हो पाता है।
- ♦ ऐसी परिस्थिति में मौसम सम्बन्धी अनुमान ज्योतिष के द्वारा महीनों पहले और कुछ मामलों में तो वर्षों पहले लगाया जा सकता है प्राचीन काल में उसी मौसम विज्ञान के सहारे कृषि कार्यों का विवाह सुगमता पूर्वक किया जाता था। यदि वर्तमान समय में भी हमारा संस्थान उसी प्राचीन पद्धति के हिसाब से शास्त्र विधि द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगाकर कृषि धर्मों में सहायक होना चाहता है जिसमें सरकारी मदद की आवश्यकता है क्या ऐसे विषयों में मदद करने का कोई प्रावधान है और यदि हाँ तो प्रक्रिया क्या है ?

S.N. (2)  
SPEED POST

No. I/40/1/2015/RTI/शेनावा 8659-60

भारत सरकार  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
मौसम विज्ञान के महाविदेशक का कार्यालय  
मौसम भवन, लोदी रोड,  
नई दिल्ली-110003  
शहर का पता :  
महावीरम, नई दिल्ली



GOVERNMENT OF INDIA  
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT  
OFFICE OF THE  
DIRECTOR GENERAL OF METEOROLOGY  
MAUSAM BHAVAN, LODI ROAD  
NEW DELHI-110003  
Telegraphic Address :  
DIRGENMET NEW DELHI

दिनांक/Date

दि: 08वीं जुलाई, 2015

प्रति,

श्री शेष नारायण वाजपेयी,  
K - 71, फ्लॉट नं 3,  
छाडी विस्डिंग, कृष्णा नगर,  
दिल्ली - 110051.

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना ।

महोदय,

आपके दिनांक 09.06.2015 के ऑनलाइन प्रार्थना पत्र पंजीकरण क्रमांक DOA&C/R/2015/80145 (प्राप्ति दिनांक 08.07.2015) के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी समस्या का निदान ना ही इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है और ना ही सूचना अधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके द्वारा उसका समाधान किया जा सके। अतः आपका प्रार्थना पत्र सूचना अधिनियम की धारा 2(f), 2(l) एवं 2(j) के तहत अस्वीकृत किया जाता है।

प्रतिउत्तर में अस्तित्व होने की स्थिति में आप सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री एस के कुंडु, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रथम अपीली अधिकारी, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003 को तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

राजेश कुमार  
8/7/15

(विजय कुमार सोनी)  
वैज्ञानिक 'E' एवं  
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी  
दूरभाष क्र. 011-43524489.

प्रतिलिपि:-

(1) Ms Rita Gadhook, Section Officer (RTI), Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi - 110001

RS  
8/7/15

OK